## मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत भवन निर्माण, विकास के लिये स्वीकृति पत्र

**संख्या**–...312.......मु०वि०प्रा० / मानचित्र संख्या– BF/C/VC/90/2014-15 दिनांक–13-1-15..... चड्ढा ग्रास लि० श्री इन्दजीत सिंह चड्ढा (आकाश रेजीडेंसी), निवासी– 456, सिविल लाईन्स, मुरादाबाद। स्थल– 1,2,3,4 ग्राम छावनी, मधुवनी कांठ रोड, मुरादाबाद, कुल क्षेत्रफल 12757.52 वर्गमी०।

आपको सूचित करना है कि भवन निर्माण सम्बन्धी मानचित्र उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत किया जाता है। जिसकी प्रति आदेश के साथ संलग्न है।

1. यह मानचित्र स्वीकृति के दिनांक से केवल 05 वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की इस स्वीकृति से सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका मु०वि०प्रा० रेलवे कैंटोनमेंट, नोटिफिकेशन एरिया अथवा अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित नही होता यदि प्रभावित होता है तो उसकी जिम्मेदारी निर्माणकर्ता पर होगी।
3. भवन मानचित्र जिसके प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है, केवल उसी प्रयोग मे लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा जो वह बिना आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नही होगा, उस पर शासन अथवा किसी भी स्थानीय निकाय को विकास करने की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
6. दरवाजे व खिड़कियॉं इस तरह लगाये जायेगें कि वह खुले तो उसके पहले किसी सरकारी भूमि अथवा सड़क आदि की ओर प्रोजेक्टेड न हों।
7. बिजली की लाईन में 05 फीट के अन्दर से तथा विद्युत उपनियमों (पाईप लाईन) के विरूद्ध कोई कार्य न किया जायेगा।
8. सड़क, सर्विस लेन, सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री बिल्डिंग मैटिरियल नही रखा जायेगा तथा गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वंय करना होगा।
9. स्वीकृत मानचित्र का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना आवश्यक होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जॉंच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के द्वारा (स्पेसीफिकेशन) नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भूमि एवं भवन के स्वामित्व की जिम्मेदारी स्वंय प्रार्थी पर होगी।
10. सड़क पर अथवा बैक लैन में कोई रैम्प अथवा स्टेप्स नही बनाया जायेगा और वह अपना कार्य केवल अपने ही भूमि पर सम्पन्न करेगा।
11. मानचित्र में कटे हुए भाग का निर्माण नही किया जायेगा एवं निर्माण स्वीकृत मानचित्र के आधार पर ही करना होगा।
12. यदि मानचित्र में उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त (कन्डीशन) के साथ किया जाता है तो वह पूर्ण मान्य होगी एवं भवन निर्माण सम्बन्धी समय-समय पर प्रसारित शासनादेशों को ध्यान में रखते हुए ही किया जायेगा।
13. निर्माणकर्ता इस स्वीकृति का उपयोग नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 की किसी भी धारा से बचने के लिये नही कर सकेगा और यदि इस स्वीकृति का विपरीत प्रभाव उपरोक्त अधिनियम की किसी भी धारा पर पड़ता है तो वह स्वीकृति उस सीमा तक निरस्त समझी जायेगी।
14. स्वीकृत मानचित्र के अनुसार भवन निर्माण पूर्ण होने के 01 माह के अन्दर अपना कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे। प्रमाण-पत्र के बगैर भवन प्रयोग मे नही लायेंगे।
15. भू-स्वामित्व की जिम्मेदारी स्वंय आपकी होगी।
16. भवन का पानी नाली में ही जाये, सड़क पर न फैले। प्रार्थी को इसकी समुचित व्यवस्था करनी होगी।
17. आन्तरिक विकास कार्य 05 वर्ष में पूर्ण करना होगा। इस हेतु प्राधिकरण से अनुबन्ध करना होगा।
18. प्रदूषण / पर्यावरण विभाग की एन०ओ०सी० प्रस्तुत करनी होगी।
19. समस्त निर्माण एवं विकास कार्य लोक निर्माण विभाग एवं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मानकों के अनुसार करना होगा।
20. विद्युत सम्बन्धी कार्य उ०प्र० पावर कारपोरेशन विभाग के मानकों के अनुसार करना होगा तथा आवश्यकता अनुसार विद्युत सबस्टेशन आदि हेतु भूमि निःशुल्क आवेदक को स्वंय उपलब्ध करानी होगी।
21. योजना में 50 पेड़ प्रति हेक्टेअर की दर से लगाने होगें।
22. ग्राउन्ड वाटर चार्जिंग के लिये छतों एवं खुले स्थानों से प्राप्त होने वाले बरसाती जल हेतु निर्धारित मानक के अनुसार पर लोकेशन पिट व ग्राउन्ड वाटर सिस्टम की व्यवस्था करनी होगी।
23. ले-आउट प्लान क्षेत्र को नगर निगम को हस्तानान्तरित करना होगा तथा हस्तानान्तरित होने तक कालोनी का रख-रखाव आदि कार्य आपको स्वंय करना होगा।
24. श्रम उपकार शुल्क आपके द्वारा श्रम विभाग के पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है। श्रम उपकार शुल्क आपके द्वारा स्वंय जमा किया जायेगा एवं उपकर की धनराशि को आपके द्वारा स्वंय जमा कर प्राधिकरण को सूचित करना होगा।
25. मूलभूत सुविधायें जैसे कूड़ा एकीकरण, अस्थाई भण्डारण, स्थानान्तरण निस्तारण आदि की समुचित व्यवस्था आपको स्वंय करनी होगी।

क्रमशः..... 2

26 विद्युत, वाटर सप्लाई, सीवर आदि की समस्त व्यवस्था दिये गये प्राविधान के अनुसार स्वयं करनी होगी।

27 भू-स्वामित्व एवं अन्य किसी प्रकार का विवाद की समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

26 कार्य पूर्ण होने तथा भवन का उपयोग करने से पूर्व प्राधिकरण से कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा।

29 अफोर्डेबिल भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में समय-समय पर प्राप्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

30 स्थल का एप्रोच प्राधिकरण द्वारा विकसित मधुबनी आवासीय योजना की तरफ से नहीं करना होगा।

भवदीय

(अरविन्द [illegible])
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद।